

- 338 -

9/c
951

प्रपत्र VI
भू-अर्जन अधिनियम संख्या-30, 2013 की धारा-93(1) के अन्तर्गत अधिसूचना
बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
(भू-अर्जन निदेशालय)

14/डी.एल.ए. किशनगंज (भारत-नेपाल सीमा पथ परि.)-02/2016, ज्ञापांक-1000/रा., मू-अर्जन, पटना, दिनांक-02/04/18
पत्रांक-400/आश, पटना, दिनांक-02-04-18

भारत-नेपाल सीमा के समानान्तर सड़क निर्माण हेतु अधिसूचना संख्या-14/डी.एल.ए., किशनगंज (भारत-नेपाल सीमा पथ परि.)-02/2016, ज्ञापांक-1000/रा., मू-अर्जन, पटना, दिनांक-11.08.2016 (जो दो दैनिक समाचार पत्र में एवं जिला गजट के असाधारण अंक संख्या-139, दिनांक-26.08.2016 को प्रकाशित किया गया है) एवं अधिघोषणा संख्या-14/डी.एल.ए., किशनगंज (भारत-नेपाल सीमा पथ परि.)-02/2016, ज्ञापांक-1002/रा., मू-अर्जन, पटना, दिनांक-12.08.2016 (जो दो दैनिक समाचार पत्र में एवं जिला गजट के असाधारण अंक संख्या-140, दिनांक-28.08.2016 को प्रकाशित किया गया है) द्वारा किशनगंज जिलान्तर्गत टेढ़ागाछ अंचल के मौजा-दहीभात, चादर नं.-01 एवं 02, थाना नं.-68, रकवा-10.6160 एकड़ (दस एकड़ एकसठ डी. साठ कड़ी) एवं मौजा-धवेली, चादर नं.-01 एवं 02, थाना नं.-154 रकवा-5.3275 (पाँच एकड़ बतीस डी. पचहत्तर कड़ी) में कुल रकवा 15.9435 एकड़ (पंद्रह एकड़ चौरानबैं डी. पैंतीस कड़ी) भूमि का अधिग्रहण किया गया था। जिसमें मौजा-दहीभात, चादर नं.-01 एवं 02, थाना नं.-68, रकवा-0.1330 एकड़ एवं मौजा-धवेली, चादर नं.-01 एवं 02, थाना नं.-154, रकवा-0.1100 एकड़ (ग्यारह डी.) में कुल रकवा-0.2430 एकड़ (चौबीस डी. तीस कड़ी), अंचल-टेढ़ागाछ, जिला-किशनगंज में अर्जनाधीन खेसराओं की वर्णित भूमि जिसकी खेसरावार विवरणी संलग्न है, को भू-अर्जन अधिनियम-2013 की धारा-93(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वापसी अधिसूचना द्वारा अर्जन से वापस किया जाता है।

2/Amn
14/12/17
कानुनगों,
जिला भू-अर्जन कार्यालय,
किशनगंज।

2/Amn
14/12/17
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
किशनगंज।

2/Amn
14/12/17
अपर समाहर्ता,
किशनगंज।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
2/Amn
02/04/18
सरकार के अवर सचिव,

- प्रतिलिपि :: ज्ञापांक-1000/रा./मू-अर्जन, पटना, दिनांक-02-04-18 (कॉप-2)
निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को वापसी अधिसूचना की तीन प्रतियाँ सहित (दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो) प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :: उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गजट, किशनगंज को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित जिला गजट की दस-दस (10-10) प्रतियाँ इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :: समाहर्ता, किशनगंज/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :: आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

2/Amn
02/04/18
सरकार के अवर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

1350

क्र०	ग्राम/कांवर नं०/खाना नं०	अंचल	खाला सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (युज्ड सं०)			
									उ०	द०	पू०	प०
1	दहीगात / 01 एवं 02/08	टेकनाछ	272	271	देवती	आवासीय	0.0780	सफीक आलम पि० सुलतान	220	222	नीज	सडक
2	तदव	तदव	223	1064	देवती	कृषि	0.0550	अली हसन पि० सर्फराखदीन	नीज	नीज	1034	1037
कुल =								0.1330 Acre				

Signature 2

336-

349

क्र०	ग्राम/चादर नं./शामा नं०	अंचल	खतब नं०	सर्वे पुखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	व्यक्ति का नाम व पता	सैमा (पुखंड सं०)			
									रु०	ब०	पू०	श०
1	भवेली./1 एवं 2/164.	देवगाछ	339	722	रेयती	कृषि	0.1000	जबैरउददीन पि० करीद बरस	नीज	सडक	726	729
2	तदैव	तदैव	311	732	रेयती	कृषि	0.0100	पतनू मो नुफ्त सुलक पि० गोखुर अली	सडक	नीज	733	734
कुल = 0.1100 Acre												

[Signature]
15/11/2017

कानुनगों,
जिला भू-अर्जन कार्यालय,
किशनगंज।

[Signature]
15-12-17

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
किशनगंज।

[Signature]
15/12/17

अपर समाहर्ता,
किशनगंज।

[Signature]
15/12/17

समाहर्ता,
किशनगंज।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरफगर के अवर सचिव,